उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी.बी.एक्स. 2622363, 2627111 फैक्सः0522-2615526, 2628841, 26235786

पत्रांक 177रोपी / 2015–14टीसी / 12– ।। दिनांक 22 जनवरी, 2015

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
2–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– निगम बसों के यात्रियों के सुविधार्थ यात्री बाहुल्य मार्गों पर सुव्यवस्थित खान–पान सुविधा हेतु यात्री प्लाजा चिन्हित / विकसित करने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या–277 रोपी / 14–14टी0सी0 / 12 दिनांक 26.02.2014 के द्वारा विभिन्न मार्गों पर यात्री सुविधा हेतु यात्री प्लाजा चिन्हित / विकसित करने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में क्षेत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव / संस्तुति के आधार पर क्षेत्रों को अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही पत्र संख्या–1099(अ) / 12, दिनाँक–30.07.2014 द्वारा इण्डियन ऑयल एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की रिटेल आउटलेट (खानपान) इकाईयों का निरीक्षण कर यात्री प्लाजा योजना के अन्तर्गत उपयुक्त पाये जाने पर मानक के अनुसार अनुबन्ध करने के निर्देश दिये गये थे। पुनः क्षेत्रों को मुख्यालय के पत्र सं0 1400 रोपी / 14–14 टीसी / 12 दि0 25.08.2014 द्वारा विभिन्न मार्ग पर निगम बसों के अवैध ठहराव के स्थानों की सूची इस आशय से उपलब्ध करायी गयी थी कि इन सभी स्थानों पर समयबद्ध कार्यवाही करते हुए यात्री प्लाजा विकसित किया जाये, लेकिन समीक्षा से स्पष्ट है कि अभी तक प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर मात्र 45 यात्री प्लाजा ही चिन्हित किये गये हैं। अभी भी अनेक स्थानों पर विशेष रूप से फोर–लेन राजमार्गों पर सड़क के दोनों ओर यात्री प्लाजा चिन्हित किये जाने की आवश्यक्ता है।

यात्री प्लाजा की क्षेत्रवार समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि कतिपय क्षेत्रों में 3 से 5 यात्री प्लाजा चिन्हित किये गये हैं, जबकि अलीगढ़, मेरठ, देवीपाटन, आजमगढ़, वाराणसी, हरदोई, एवं इटावा क्षेत्र में मात्र 1–2 यात्री प्लाजा चिन्हित किये गये तथा चित्रकूट एवं बरेली में एक भी यात्री प्लाजा चिन्हित नहीं किया गया। कतिपय क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कुछ स्थानों पर मानक के अनुरुप स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

अ– अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् यात्री प्लाजा हेतु आवश्यक क्षेत्रफल के मानक को शिथिल करते हुये निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें:–

1. यात्री प्लाजा के लिए जिन स्थानों पर पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ द्वितीय विकल्प के अन्तर्गत 3,000 वर्ग मी0 भू–स्थान, जिसका वैधानिक स्वामित्व / लीज़ (किराया) और सामने का भाग न्यूनतम 30 मी0 चौड़ा हो, उसको क्षेत्रीय समिति द्वारा विचारोपरांत अनुमति प्रदान की जा सकती है।
2. यदि बिन्दु–01 के अनुसार प्लाजा हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी उपलब्ध न हो तो भूमि प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयासों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुये उससे कम क्षेत्रफल वाले स्थान को क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर मु0प्र0प्र0(संचालन) की अनुमति प्राप्त कर क्षेत्रीय स्तर पर अनुबंध की कार्यवाही करें।
3. क्षेत्रों के फोर–लेन मार्गों पर अप एवं डाऊन दिशा के लिए अलग अलग प्लाजा चिन्हित करें ताकि दुर्घटना की सम्भावना न रहे।

Downloaded from www.upsrtc.com

4. एक ही स्थान के लिये (अप अथवा डाउन) हेतु आवश्यकता से अधिक यात्री प्लाजा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावक के स्वामित्व एवं अधिक क्षेत्रफल व सुविधाओं के प्रस्ताव को वरीयता दी जाये।
5. किसी चिन्हित स्थान पर यात्री प्लाजा प्रथम बार प्रारम्भ करने के लिये निर्माण/रेनोवेशन हेतु क्षेत्रीय समिति द्वारा अधिकतम तीन माह का समय दिया जाय।
6. किसी भी दशा में यात्री प्लाजा के स्थान के ऊपर से विद्युत तार/एच0टी0 लाईन न जा रही हो।
7. गाजियाबाद से मुरादाबाद के मध्य कोई भी यात्री प्लाजा क्षेत्रीय स्तर से चिन्हित नही किया जायेगा।

ब— निगम में संचालित यात्री प्लाजा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

1. जिन स्थानों पर यात्री प्लाजा संचालित हैं, उन स्थानों पर निगम बसों का ठहराव तत्काल प्रारम्भ कर दें। मानक के अनुरूप यात्री प्लाजा का निर्माण प्लाजा स्वामी द्वारा निर्धारित समय में तत्परता से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में चिन्हित प्लाजा के अलावा किसी अन्य ढाबे पर निगम बसें खड़ी न हों।
2. न्यूनतम 2 घंटे लगातार यात्रा के पश्चात् ही बसों को यात्री प्लाजा में रोका जाये। यदि मार्ग पर इस अवधि में कोई चिन्हित यात्री प्लाजा पड़ता भी है तो वहां पर बस नहीं रोकी जायेगी। यह सुनिश्चित करें कि यात्री प्लाजा मे बसों का ठहराव 20 मिनट से अधिक का न हो। 20 मिनट से अधिक ठहराव की स्थिति में यात्री प्लाजा स्वामी द्वारा बसों की सूची सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक को अनिवार्य रुप से 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी। यदि फिर भी निरीक्षण में 20 मिनट से अधिक ठहराव पाया जायेगा तो यात्री प्लाजा स्वामी के विरुद्ध अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. सभी यात्री प्लाजा के डायनिंग हॉल तथा बसों के पार्किंग यार्ड में प्लाजा स्वामी द्वारा सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाया जाना आवश्यक होगा, जिसको आई0पी0 एड्रेस लिंक से जोड़ा जाय।
4. चालक/परिचालक द्वारा प्रत्येक ट्रिप के लिए प्लाजा स्वामी से रू0 25/- प्राप्त कर ई0टी0एम0 मशीन से टिकट जारी कराया जाना सुनिश्चित कराये तथा यात्री प्लाजा से प्राप्त आय का विवरण डिपो स्तर पर तिथिवार/बसवार रखा जायेगा तथा निम्नलिखित प्रारुप में मासिक रुप से विलम्बतम आगामी माह की 07 तारीख तक सम्बन्धित क्षेत्र मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें:—

क्षेत्र का नाम—..............

क्रमांक	डिपो का नाम	बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर	धनराशि
1	2	3	4
	कुल योग		

5. यात्री प्लाजा में खान—पान की गुणवत्ता, रेट चार्ट, प्रसाधन, पेय—जल की व्यवस्था एवं उच्च कोटि की सफाई, का नियमित निरीक्षण नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा माह में न्यूनतम एक बार अवश्य किया जाये।
6. सभी यात्री प्लाजा के चिन्हित स्थानों की ज़ियो फैंसिग, प्र0प्र0(आई0टी0) द्वारा दो सप्ताह में करायी जाय, जिससे यह स्थान बसों के अवैध ठहराव की श्रेणी में न आयें।

Downloaded from www.upsrtc.com

7. वर्तमान में अधिक संख्या में यात्री प्लाजा संचालित हैं। अतः यदि वी0टी0एस0 के माध्यम से चेक करने पर बसों का अवैध ढाबों पर ठहराव पाया जाता है, तो चालक/परिचालक के विरूद्ध दण्डात्मक/जुर्माना की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
8. यदि किसी डिपो/क्षेत्र में बसों के अवैध ठहराव सम्बन्धी प्रकरण प्राप्त होते हैं तो अनाधिकृत ठहराव जिस डिपो के क्षेत्राधिकार में होगा, उस डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
9. सभी यात्री प्लाजा का निर्धारित प्रारूप में विवरण डिजिटल फोटोग्राफ के साथ प्रधान प्रबन्धक विपणन की मेल–आई डी0 gmmarkting110@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करें, क्योंकि यह विवरण निगम की वैबसाइट पर लोड करने के साथ ही यात्रा दर्पण पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाना है।
10. अनुमन्य किये गये सभी यात्री प्लाजा स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि निर्धारित आकार एवं डिजाइन का बोर्ड प्लाजा के सामने इस प्रकार लगाये कि बस चालक एवं यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनाँक 31–01–2015 तक पूर्ण कर अनुपालन आख्या से अवगत करायें।

22/01/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, (कैम्प) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/प्रावि0) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्र0प्र0(आई0टी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. समस्त नोडल अधिकारी।

(एच0एस0 गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com